

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

राजस्व वाद संख्या :- 4/2025

1. आकाश पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नी स्व. रामप्रताप जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सुरेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. गायत्री पुत्री रामप्रताप पत्नी महावीर जाति जाट निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. कैलाश पुत्री रामप्रताप पत्नी बनवारी लाल जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. मोनू गोदारा पुत्री राजेन्द्र पत्नी कुलवीर जाति जाट निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. विरेन्द्र पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. कालू राम पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान),
8. सुमन देवी पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. विकास पुत्र सुरेन्द्र जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादीगण की ओर से श्री धनराज सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की ओर से श्री विनोद कुमार बि नोई अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है। -

(क) वादीगण (आकाश) को तहसील पीलीबंगा के चक 4 पी.बी.एन. के खाता संख्या 57/54 के प.नं. 55/320 (7) किला नं. 1/3/0.203, 1/4/0.025, 2/1/0.228 2/2/0.025, 3/1/0.060, 3/2/0.006 (पश्चिम दिशा), 8/0.066 (पश्चिम दिशा), 9, 10/2/0. 228, 11/1/0.228, 12,13/0.066 (पश्चिम दिशा), 18/0.065 (पश्चिम दिशा), 19, 20/2/0.228,

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

21/2/0.228, 22, 23/0.065 (पश्चिम दिशा) की कुल 2.733 हैक्. कमाण्ड मय गै. मुखाला खातेदारी कृषि भूमि का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख) प्रतिवादीसंख्या 1 (सुरेन्द्र) को तहसील पीलीबंगा के चक 4 पी.बी.एन. के खाता सख्या 57/54 के प.नं. 55/320 (7) किला नं. 3/1/0.168 (पूर्व दिशा), 3/2/0.019 (पूर्व दिशा), 4/1/0.041, (पश्चिम दिशा), 4/2/0.003 (पश्चिम), 7/0.044 (पश्चिम दिशा), 8/0.187 (पूर्व दिशा), 13/0.187 (पूर्व दिशा), 14/0.044(पश्चिम दिशा), 17/0.044 (पश्चिम दिशा), 18/0.188 (पूर्व दिशा), 23/0.188 (पूर्व दिशा), 24/0.043 (पश्चिम दिशा) की कुल 1.156 हैक्. कमाण्ड मय गै.मुखाला खातेदारी कृषि भूमि का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ग) प्रतिवादीगण संख्या 3 (गायत्री) को तहसील पीलीबंगा के चक 4 पी.बी.एन. के खाता सख्या 57/54 के प.नं. 55/320 (7) किला नं. 4/1/0.206 (पूर्व दिशा), 4/2/0.003(पूर्व दिशा), 5/0.022 (पश्चिम दिशा), 6/0.022 (पश्चिम दिशा), 7/0.209 (पूर्व दिशा), 14/0.209 (पूर्व दिशा), 16/0.022(पश्चिम दिशा), 17/0.209 (पूर्व दिशा), 24/0.210 (पूर्व दिशा), 25/0.022 (पश्चिम दिशा) की कुल 1.156 हैक्. कमाण्ड मय गै.मुखाला खातेदारी कृषि भूमि की खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे।

(घ) वादी संख्या 2 (राजेन्द्र) को तहसील पीलीबंगा के चक 4 पी.बी.एन. के खाता सख्या 57/54 के प.नं. 55/320 (7) किला नं. 5/0.231 (पूर्व दिशा), 6/0.231 (पूर्व दिशा), 15/0.231(पूर्व दिशा), 16/0.231 (पूर्व दिशा), 25/0.231 (पूर्व दिशा) की कुल 1.155 हैक्. कमाण्ड मय गै.मुखाला खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बाराणी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदारद्व पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(असिहापनिश्चोड्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा)